

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.07.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 20.07.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.जयराम यादव पुत्र स्व0 किशुन यादव सा0 जोकहा खास थाना रुद्रपुर देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 गैलन में भरा 08 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.अजय गुप्ता उर्फ करन पुत्र कन्हैया सा0 छपौली थाना रुद्रपुर देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 19 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 3.8 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.गोपाल उराव पुत्र शिवा उराव सा0 बघना थाना सिसई जिला गुमला झारखण्ड। हा0प0 भटौली खुर्द थाना गौरी बाजार,देवरिया।** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक जैरिकेन से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 20.07.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 49 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

03.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 20.07.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 98 वाहनों से 99,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।